सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

(2022-2023)

सत्रहवीं लोक सभा

116

एक सौ सोलहवां प्रतिवेदन

[नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (एनएमआरसी) लिमिटेड, नोएडा के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब से संबंधित समिति के अड़तालीसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/ टिप्पणियों पर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई]

(27 मार्च 2023 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च , 2023/ चैत्र, 1945(शक)

विषय-सूची

पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गए पत्रों सम्बन्धी समिति (2022-2023) की संरचना (iii)

प्राक्कथन (iv)

प्रतिवेदन	नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (एनएमआरसी) लिमिटेड, नोएडा के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब से संबंधित समिति के अड़तालीसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/ टिप्पणियों पर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई।	01
	परिशिष्ट	
परिशिष्ट-एक	समिति द्वारा अपने अड़तालीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई दर्शाने वाला उत्तर।	04
परिशिष्ट-दो	समिति की दिनांक 23.03.2023 को आयोजित बैठक के कार्यवाही सारांश के उद्धरण।	08

सभा पटल पर रखे गए सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति की संरचना

(2022-23)

श्री गिरीश चन्द्र - सभापति

सदस्य

2. डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क
3. डॉ. ए. चेल्लाकुमार
4. श्री पल्लब लोचन दास
5. श्री चौधरी मोहन जटुआ
6. चौधरी महबूब अली कैसर
7. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे
8. श्री मारगनी भरत
9. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल
10. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
11. श्री टी.एन. प्रथापन
12. श्री एस. रामलिंगम
13. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
14. श्री वाई. देवेन्द्रप्पा
15. श्री अशोक कुमार यादव

सचिवालय

1. श्री विनय कुमार मोहन - संयुक्त सचिव
2. श्री नवल के. वर्मा - निदेशक
3. श्री उत्तम चंद भारद्वाज - अपर निदेशक

प्राक्कथन

मैं, सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-23) का सभापति, समिति की ओर से इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर, **नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन,(एनएमआरसी) लिमिटेड, नोएडा** के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलम्ब से संबंधित समिति के 48वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति का यह एक सौ सोलहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

2. समिति का 48वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) दिनांक 13 दिसंबर, 2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय मंत्रालय ने 48वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर की-गई कार्रवाई को दर्शाते हुये दिनांक 11 मार्च, 2022 को अपने उत्तर प्रस्तुत किए। समिति ने 23.03.2023 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया।

3. समिति से संबद्ध लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों द्वारा दी गई बहुमूल्य सहायता के लिए समिति उनकी सराहना करती है।

4. समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन के अंत में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

गिरीश चन्द्र

सभापति

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

23 मार्च , 2023

02 चैत्र, 1945 (शक)

नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन,(एनएमआरसी) लिमिटेड, नोएडा के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब से संबंधित समिति के अड़तालीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएच एंड एएफ) द्वारा की गई कार्रवाई।

समिति का यह प्रतिवेदन वर्ष 2017-18, 2018-19 के लिए नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन,(एनएमआरसी) लिमिटेड नोएडा के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के संबंध में समिति के अड़तालीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएच एंड एएफ) द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित है, जिसे 13.12.2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था।

2. उपर्युक्त प्रतिवेदन की सभी टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएच एंड एएफ) से, हिंदी और अंग्रेजी, दोनों संस्करणों में, की-गई-कार्रवाई उत्तर 11 मार्च, 2022 को प्राप्त हो गए हैं। तदनुसार, अड़तालीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएच एंड एएफ) द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला उत्तर परिशिष्ट- एक में दिया गया है।

3. एमओएच एंड एएफ ने अपने लिखित उत्तरों में कहा है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 के अनुसार, प्रत्येक कंपनी की वार्षिक आम बैठक संबंधित लेखा वर्ष के समापन की तारीख से 6 महीने के भीतर आयोजित की जानी चाहिए और कंपनी की किसी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) और उससे अगली आम बैठक के बीच पंद्रह महीने से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। एमओएच एंड एएफ द्वारा यह भी कहा गया है कि किन्हीं विशेष कारणों से, कंपनी रजिस्ट्रार उस समय में, 3 महीने से अनधिक अवधि का विस्तार कर सकता है, जिसके भीतर एजीएम आयोजित किया जाएगा। एमओएच एंड यूए द्वारा यह भी कहा गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अनुसार, प्रत्येक सरकारी कंपनी, जिसका सदस्य केंद्र सरकार है, अपनी एजीएम के बाद 3 महीने के भीतर किसी कंपनी के कामकाज पर एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसे लेखा परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति और उस पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के साथ संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा जाएगा।

तदनुसार, एनएमआरसी के अपेक्षित दस्तावेजों को कोविड-19 के कारण कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए विस्तारित समय के भीतर 10.01.2022 को एमओएच एंड यूए को प्रस्तुत किया गया था।

4. इस संबंध में, समिति स्वायत्त निकायों और सरकारी कंपनियों के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने के संबंध में लोक उद्यम ब्यूरो, भारत सरकार द्वारा दिनांक 28 अगस्त, 2003 के का.ज्ञा. संख्या 3(7)/2002-फिन-जीएल-XX द्वारा जारी किए गए एमओएच एंड यूए दिशानिर्देशों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहती है, ,जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि –

"प्रशासनिक मंत्रालय जो अपने नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रतिवेदनों को संसद के पटल पर रखने के लिए उत्तरदायी हैं, से अपेक्षा की जाती है कि वे अधिक सतर्कता बरतें और यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रक्रिया तैयार करें कि ऐसे प्रतिवेदनों और लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर संसद के पटल पर रखे जाएं। वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित लेखाओं को संसद के पटल पर एक साथ रखा जाना चाहिए ताकि सदन उस सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के कार्यकरण की पूरी तस्वीर रख सके। उपरोक्त अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निदेशक मंडल/न्यासियों की बैठक समय पर आयोजित किए जाने की आवश्यकता है।"

चूंकि लोक उद्यम ब्यूरो, भारत सरकार के दिशा-निर्देश (दिनांक 28 अगस्त, 2003) आज की तारीख में लागू हैं, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 का हवाला देते हुए और कोविड-19 महामारी की स्थिति के कारण आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएच एंड एएफ) का उत्तर समिति को स्वीकार्य नहीं है।

5. समिति का कहना है कि एमओएचयूए ने वार्षिक आम बैठक आयोजित करने में वर्ष 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 के लिए कंपनी रजिस्ट्रार से समय का विस्तार लिया था और इसलिए, इन वर्षों के अपेक्षित दस्तावेज देरी के साथ रखे गए थे। समिति का मानना है कि बार-बार समय बढ़ाने की मांग करना भी किसी भी आधार पर उचित नहीं है और इसलिए, डीपीई द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों, कंपनी अधिनियम और समिति की सिफारिशों

(सिफारिश संख्या 1.16, पहला प्रतिवेदन, 5 वीं लोक सभा तथा सिफारिश संख्या 1.12, दूसरा प्रतिवेदन संख्या, 6 वीं लोक सभा में उल्लिखित) का पालन करने की पुरजोर सिफारिश करती है ताकि एनएमआरसी के अपेक्षित दस्तावेज को संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद नौ महीने के भीतर पटल पर रखा जा सके। समिति एनएमआरसी तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएच एंड एएफ) द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के तीन महीने के भीतर की गई सुधारात्मक कार्रवाई के बारे में सूचित करना चाहेगी।

गिरीश चन्द्र

23 मार्च , 2023 सभापति

02 चैत्र, 1945 (शक) सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

———

टिप्पण : वर्ष 2021-2022 अपेक्षित दस्तावेज 15.12.2022 सभा पटल पर रखे गए।

<u>परिशिष्ट-एक</u>

(देखिए प्रतिवेदन का पैरा दो)

समिति के अड़तालीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएच एंड एएफ) द्वारा की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला उत्तर

नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नोएडा

<u>सिफारिश क्रम सं. 13</u>

समिति नोट करती है कि पत्र निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर नहीं रखे गए थे और मंत्रालय और एनएमआरसी के भरसक प्रयासों के बाद भी विलंब हुआ। समिति ने आगे यह नोट किया, जैसा कि मंत्रालय ने इस मामले में मौखिक सुनवाई के दौरान, बताया कि इससे संबंधित, सभी विधिवत प्रक्रिया का पालन करते हुए, एनएमआरसी को 2 जून को भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का एक संयुक्त उद्यम बनाया गया था, इसलिए इस दृष्टि से, पत्रों को सभा-पटल पर रखने का समय मार्च 2019 को ही नियत हो गया था। मंत्रालय द्वारा कंपनी की त्रुटि को इंगित करते हुए समिति नोट करती है कि कंपनी द्वारा 2017-18 के पत्र लोकसभा पटल पर नहीं रखने चाहिए थे जबकि कंपनी द्वारा इन्हें उत्तर प्रदेश राज्य विधान सभा के पटल पर रखा जाना चाहिए था; और कंपनी को केवल वित्त वर्ष 2018-19 से संबंधित पत्र रखने चाहिए थे, जिनको रखने का नियत समय मार्च, 2020 के बाद ही शुरू हो गया था और इन्हें 5 मार्च, 2020 को सभा पटल पर रखा गया था। समिति आगे इस तथ्य को नोट करती है कि मंत्रालय द्वारा पत्रों को समय पर सभा पटल पर रखने के मामले को समिति के संज्ञान में लाया गया था।

<u>सरकार का उत्तर</u>

समिति मंत्रालय और कंपनी द्वारा लिए गए निर्णय को दोहराती है, इसलिए किसी अनुवर्ती कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। तथापि, भविष्य में, नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित लेखे समय पर सदन के पटल पर रखे जाएंगे।

[आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय का.ज्ञा.सं.के14011/22/2019- एमआरटीएस- एक दिनांक 11 मार्च , 2022]

सिफारिश क्रम सं. 14

मंत्रालय के मौखिक उत्तर को ध्यान में रखते हुए और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप, पत्रों को वार्षिक आम बैठक के तीन महीने के भीतर निर्धारित समय सीमा पर सभा पटल पर रखा गया था, समिति इस बात पर जोर देती है यद्यपि, इस समिति की सिफारिशों और सामान्य वित्तीय नियमावली के अनुसार, वित्त वर्ष समाप्त होने के नौ महीने के भीतर, अर्थात इस मामले में दिसंबर 2019 से पहले पत्र रखे जाने चाहिए थे। समिति ने पाया कि इस समय सीमा पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए और इसे महत्व दिया जाना चाहिए था।

सरकार का उत्तर

उपरोक्त टिप्पणियों/सिफारिशों के अनुसरण में, यह बताया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 के अनुसार, प्रत्येक कंपनी वित्त वर्ष की समाप्ति की तिथि से 6 महीने के भीतर अपनी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित करेगी और कंपनी की एक वार्षिक आम बैठक और अगली बैठक की तिथि के बीच 15 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए।

किन्हीं विशेष कारणों से, वर्तमान मामले में कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) उस समय को बढ़ा सकता है जिसके भीतर कोई भी वार्षिक आम बैठक की जा सकती है और यह समय सीमा 3 महीने से अधिक नहीं होगी, आरओसी ने दिनांक 25.09.2019 के पत्र के माध्यम से वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 03 महीने का विस्तार दिया है। वार्षिक आम बैठक आयोजित करने की नियत तिथि 31.12.2019 थी और एजीएम 31.12.2019 को आयोजित की गई थी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अनुसार, प्रत्येक सरकारी कंपनी जिसका सदस्य केंद्र सरकार है, अपनी एजीएम के 3 महीने के भीतर अपने कामकाज और कंपनी के मामलों पर एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसे लेखापरीक्षा रिपोर्ट और उस पर सीएजी की टिप्पणियों की एक प्रति के साथ संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा। वित्त वर्ष 2018-19 की रिपोर्ट 05.03.2020 को संसद के सदन में रखी गई है।

जबकि, सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर) वे नियम नियम और आदेश हैं जिनका अनुपालन सरकार के अधीन सभी विभागों और संगठनों तथा विनिर्दिष्ट निकायों, सिवाय उनके जो इन नियमों में उपबंधित हैं, द्वारा कार्य निष्पादन संबंधी अनुदेशों के रूप में किया जाता है।

कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:-

वर्ष	कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार निर्धारित एजीएम	सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत एजीएम की बढाई गई समय-सीमा	आयोजित एजीएम	कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार सभा पटल पर रखे जाने की अपेक्षित तिथि	संसद के सदन में रखा गया
2017-2018	30.09.2018	31.12.2018	28.12.2018	संसद के सदन के में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।	सदन में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।
2018-2019	30.09.2019	31.12.2019	31.12.2019	31.03.2020	05.03.2020

चूंकि, नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनएमआरसी) भारत सरकार (जीओआई) और उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) का 50:50 के अनुपात में एक संयुक्त उद्यम है और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत पंजीकृत है, संसद के सदन के समक्ष वार्षिक रिपोर्ट रखने से संबंधित कानून कंपनी अधिनियम, 2013 है। जहां तक जीएफआर का संबंध है, ऊपर उल्लिखित शेयरधारिता पैटर्न को देखते हुए एनएमआरसी के संदर्भ में वार्षिक लेखाओं को प्रस्तुत करने के लिए समय-सारिणी के संबंध में विशिष्ट नियम (नियम संख्या 237) वर्तमान स्थिति में लागू नहीं होता है।

तथापि, भविष्य के लिए समिति की सिफारिश को नोट कर लिया गया है और नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित लेखाओं को कानून में दी गई समयसीमा के भीतर सदनों के पटल पर रखा जाएगा।

[आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय का.ज्ञा. सं. के14011/22/2019- एमआरटीएस-एक दिनांक 11 मार्च, 2022]

सिफारिश क्रम सं. 15

समिति आशा करती है कि भविष्य में मंत्रालय और कंपनी द्वारा एनएमआरसी के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को समय से सभा पटल पर रखने के साथ-साथ समिति की सिफारिशों तथा मौजूदा सामान्य वित्तीय नियमावली का कड़ाई से पालन करने के लिए सभी आवश्यक प्रयास किए जाएंगे।

सरकार का उत्तर

भविष्य में अनुपालन के लिए समिति की टिप्पणियों को नोट कर लिया गया है। एनएमआरसी, वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को समय से संसद के सदनों के समक्ष रखने के लिए सभी आवश्यक प्रयास कर रहा है। तथापि, एनएमआरसी ने वित्त वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन को कोविड-19 महामारी की स्थिति के कारण कार्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दी गई विस्तारित समय अवधि के भीतर 10.01.2022 को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत किया है।

[आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय का.ज्ञा. सं. के14011/22/2019- एमआरटीएस-एक दिनांक 11 मार्च, 2022]

*****

परिशिष्ट-दो

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-23)

समिति की *तीसरी* बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक गुरुवार, 23 मार्च, 2023 को 15:00 बजे से 17:10 बजे तक समिति कमरा सं. 'ग ', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री गिरीश चन्द्र - ***सभापति***

सदस्य

(लोक सभा)

2. श्री पल्लब लोचन दास
3. चौधरी महबूब अली कैसर
4. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल
5. श्री अशोक कुमार यादव

सचिवालय

1.	श्री विनय कुमार मोहन	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री नवल केवर्मा .	-	निदेशक
3.	श्री उत्तम चंद भारद्वाज	-	अपर निदेशक

2. xx xx xx

3. तत्पश्चात, समिति ने निम्नलिखित 4 मसौदा रिपोर्ट और 8 कार्रवाई की गई मूल प्रारूप प्रतिवेदनों को विचार और अपनाने के लिए लिया: -

1 – 10 xx xx xx

11. नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (एनएमआरसी) लिमिटेड, नोएडा के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब से संबंधित समिति के 48वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों टिप्पणियों पर/सरकार द्वारा की-गईकार्रवाई-;

12. xx xxx xx

प्रारूप प्रतिवेदनों पर समिति द्वारा विचार किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। सभापति को समिति द्वारा इन प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और लोक सभा में प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत किया गया था।

Xx	xx	xx	xx
Xx	xx	xx	xx

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।